

प्रेस नोट

राज्य में विवाह पंजीयन की ऑनलाईन सेवा "पहचान" पोर्टल द्वारा ई-मित्रों पर शुरू

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आयोजना विभाग के वेबपोर्टल "पहचान" के माध्यम से ऑनलाईन विवाह पंजीयन का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सोमवार 21 मार्च, 2016 को राजस्थान आई.टी. दिवस (Rajasthan I.T. Day) पर बिडला ऑडिटोरियम, जयपुर में किया। माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने उपरिथित नव दम्पतियों चीना शर्मा एवं विकास शर्मा, कुसुम शर्मा एवं सोमेश भारद्वाज, सुमन मीना एवं कमलेश कुमार मीना, प्रियंका जैन एवं अमित गोयल, रेखा सैनी एवं पुष्पेन्द्र चौराडिया, आयुषी जैन एवं वैभव छाबड़ा, को "पहचान" पोर्टल द्वारा ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से डिजिटली कम्प्यूट्रीकृत विवाह प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। जन्म, मृत्यु के बाद अब विवाह पंजीयन कार्य को ऑनलाईन करने में राजस्थान, देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

सूचना और प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों का समावेश कर राज्य में सेवा प्रदाय प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं आमजन के लिए सुगम बनाने के प्रयासों के अन्तर्गत आयोजना विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान द्वारा अभिनव पहल करते हुए राज्य में 01 जनवरी, 2014 से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन विभागीय वेबपोर्टल "पहचान" <http://pehchan.raj.nic.in> के माध्यम से किया जा रहा है। राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों के अधिकारियों को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार घोषित किया हुआ है। इस प्रकार राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं विवाह पंजीयन के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्रार की एक समान व्यवस्था है।

इसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हुए विवाह पंजीयन का कार्य वेबपोर्टल 'पहचान' के माध्यम से ऑनलाईन प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में विवाह पंजीकरण का कार्य अधिकांश रजिस्ट्रार कार्यालयों में हस्तालिखित किया जा रहा है। एनआईसी के द्वारा विकसित इस वेबपोर्टल पर विवाह का पंजीयन होने पर प्रगति रिपोर्ट सूजित होकर ऑनलाईन उपलब्ध हो सकेगी। आमजन की सुविधा हेतु जन्म-मृत्यु के साथ-साथ विवाह पंजीकरण के आवेदन करने एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सुविधा राज्य में संचालित 35 हजार ई-मित्र केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गयी है। इस व्यवस्था के माध्यम से विवाह पंजीयन का कार्य भी राज्य में ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से करवाया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था से राज्य में एक समान पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की व्यवस्था लागू होगी, जिससे आमजन को ई-मित्र के द्वारा सरल, सुगम एवं शीघ्र पंजीयन की सुविधा ऑनलाईन प्राप्त होगी एवं डिजिटल हस्ताक्षरित कम्प्यूट्रीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेंगे। इस वेबपोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीयन की सूचना SMS से आवेदक को दी जावेगी एवं पंजीयन उपरान्त प्रमाण पत्र आवेदक की ई-मेल पर भी प्राप्त हो सकेगी।

महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी, राजस्थान